लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 305

04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय सुधार

305. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री लुम्बा राम:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोई विशिष्ट प्रयास कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में नवाचारों और प्रौद्योगिकीय सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार करने और उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों में वृद्धि करने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार किया है ताकि इस क्षेत्र में सुरक्षित और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने तथा वस्त्र क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकीय सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, जिनमें शामिल हैं:

पीएम मित्र पार्क योजना: इस योजना के तहत, वस्त्र क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक, एकीकृत, बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय अवसंरचना और प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।

वस्त्र के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना : यह योजना बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और इन वस्त्र क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्र सहित उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन : यह मिशन (i) अनुसंधान, नवाचार और विकास, (ii) संवर्धन और बाजार विकास, (iii) शिक्षा और कौशल तथा (iv) तकनीकी वस्त्रों में निर्यात संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना, तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम, सिल्क समग्र-2 आदि जैसे क्षेत्रीय कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ग): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार देश भर में वस्त्र कामगारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है ताकि कामगारों की कार्य स्थितियों में सुधार हो और उनके सामाजिक सुरक्षा लाभ में वृद्धि हो। वस्त्र कामगारों के कल्याण के लिए कुछ इंटरवेंशन इस प्रकार हैं:

हथकरघा कामगारों के लिए इंटरवेंशन: राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हथकरघा बुनकर कल्याण घटक हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें से कुछ उपायों में शामिल हैं (i) रियायती ऋण, मार्जिन मनी सहायता, क्रेडिट गारंटी शुल्क सहायता आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता। (ii) हथकरघा कामगारों को बीमा कवर और (iii) 60 वर्ष से अधिक आयु के उन पुरस्कार विजेता बुनकरों/कामगारों को विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है।

हस्तशिल्प कामगारों के लिए इंटरवेंशन: राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी] के कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण) घटक के अंतर्गत, हस्तशिल्प कामगारों के लिए कुछ कल्याणकारी उपायों में शामिल हैं (i) विकट परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता (ii) ऋण सुविधा के लिए ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी (iii) केंद्र/राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हस्तशिल्प कारीगरों को आधार आधारित फोटो पहचान पत्र (iv) हस्तशिल्प कारीगरों को बीमा कवर तथा (v) हस्तशिल्प कामगारों के लाभ के लिए जागरूकता शिविर/ चौपाल / शिविर ।

पटसन कामगारों के लिए इंटरवेंशन: राष्ट्रीय पटसन बोर्ड पटसन मिल कामगारों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए पटसन मिलों को सहायता प्रदान करता है। पटसन मिलों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पटसन विविध उत्पाद इकाइयों के कामगारों की बालिकाओं को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शैक्षिक सहायता/छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, औपचारिक क्षेत्र के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), जो कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यान्वित जिलों में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों / प्रतिष्ठानों में काम करने वाले वस्त्र कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, और प्रति माह ₹21,000/- (विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000/-) तक के वेतन का भुगतान करवाता है। ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 46 में कामगारों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की परिकल्पना की गई है, जिसमें (i) चिकित्सा लाभ (ii) बीमारी लाभ (iii) मातृत्व लाभ (iv) विकलांगता लाभ (v) आश्रित लाभ जैसे और अन्य लाभ शामिल हैं।

***